Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Media

Press Release **30-10-2025**

भारत निर्वाचन आयोग ने अंतर-राज्यीय सीमा तैयारियों की समीक्षा की, शांतिपूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी के निर्देश दिए

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आज बिहार में अंतर-राज्यीय सीमा मुद्दों पर एक समन्वय बैठक आयोजित की, जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और प्रधान सचिवों (गृह) के अलावा गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय और सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ बिहार और उसके पड़ोसी राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की ताकि राज्यों के बीच और नेपाल से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लोगों, संसाधनों और धन, हथियारों, असामाजिक तत्वों, शराब, नशीले पदार्थों और मुफ्त उपहारों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। सीमावर्ती जिलों में सीमाओं को सील करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया।

बैठक के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त चुनावों के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए सभी हितधारकों से चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने को कहा।

आयोग ने मतदान के दिन मतदाताओं के लिए आरामदायक और सुचारू अनुभव सुनिश्चित करने हेतु मतदाता सुविधा उपायों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की। मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ-साथ केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 शांतिपूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हों।

झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों तथा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक को बिहार की सीमा से लगे क्षेत्रों में सतर्क रहने और अंतर-राज्यीय जांच चौकियों पर कड़ी जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), आयकर विभाग, केंद्रीय जीएसटी और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) सहित केंद्रीय एजेंसियों को चुनाव से पहले प्रयासों को तेज करने और कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करके अधिकतम जब्ती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Press Release **30-10-2025**

अंता विधानसभा उपचुनाव-2025

टेलीकॉम कंपनियां केवल अधिप्रमाणित विज्ञापन, ऑडियो सन्देश ही प्रसारित करें – मुख्य निर्वाचन अधिकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए

जयपुर, 30 अक्टूबर। अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 के दौरान राजनैतिक विज्ञापन, रिकार्डेड ऑडियो कॉल और बल्क मोबाइल संदेश आदि का सक्षम स्तर से अधिप्रमाणन के बिना प्रसारण करने सहित आचार संहिता के उल्लंघन होने पर निर्वाचन विभाग सम्बंधित मोबाइल ऑपरेटर और टेली मार्केटिंग फर्म के खिलाफ कार्रवाई करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने इस विषय में मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों को हिदायत दी है। उन्होंने अंता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कमजोर नेटवर्क वाले मतदान केन्द्रों में संचार सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर भी निर्देश दिए।

श्री नवीन महाजन ने गुरुवार को मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सभी ऑपरेटर आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करवाने में निर्वाचन विभाग का सहयोग करें। इसके लिए मोबाइल कंपनी के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उनके प्लेटफार्म से कोई भी गैर-अधिप्रमाणित राजनैतिक विज्ञापन, अपील अथवा बल्क चुनावी सन्देश प्रसारित नहीं हो। उन्होंने कहा कि स्वतन्त्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि मोबाइल कंपनियां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करें।

श्री सुरेश चंद्र विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग ने कहा कि सभी मोबाइल ऑपरेटर अपनी टेली मार्केटिंग सेवाएं देने वाली ग्राहक कंपनियों को भी निर्देश दें कि मोबाइल

संदेश आदि के जरिए आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो। यदि कोई चुनाव अभ्यर्थी या उसका एजेंट किसी टेली मार्केटिंग कंपनी के माध्यम से गैर-प्रमाणित संदेश प्रसारित करता है, तो उसके खिलाफ भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने मोबाइल ऑपरेटर को ऐसी रिपोर्ट अथवा शिकायत होने पर संबंधित के खिलाफ त्वरित जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

श्री महाजन ने स्पष्ट किया कि मतदान समाप्ति से पहले के 48 घंटे (साइलेंस पीरियड) के दौरान मोबाइल फोन संदेश के माध्यम से किसी पार्टी या अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में वोट देने की अपील करना प्रतिबंधित है।

मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने श्री महाजन से कहा कि गैर-प्रमाणित विज्ञापन अथवा संदेश प्रसारित करने के क्रम में निर्वाचन विभाग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। टेली मार्केटिंग कंपनियों को भी इस विषय में निर्देश जारी किए जाएंगे तथा उनकी ओर से नियम की अवहेलना पर उसके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जाएगी। बैठक में स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर, स्टेट सोशल मीडिया नोडल ऑफिसर, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन और जियो कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Press Release **30-10-2025**

जिला निर्वाचन अधिकारी ने की विशेष गहन पुनरीक्षण में सहयोग की अपील

राजनीतिक दल प्रतिनिधियों को दी विस्तृत जानकारी

कोटा, 30 अक्टूबर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर श्री पीयूष समारिया की अध्यक्षता में गुरुवार को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजनैतिक दल प्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की गई ताकि कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो।

4 नवम्बर से भरे जाएंगे गणना प्रपत्र

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम आरम्भ हो चुका है। इसके अतंर्गत 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक गणना प्रपत्र भरे जाएंगे। 9 दिसम्बर को मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियों की अवधि निर्धारित की गई है। 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस चरण रहेगा एवं 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

बीएलओ का करें पूर्ण सहयोग

उन्होंने बताया कि मतदाताओं की मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। जिले में यह कार्य 65 फीसदी से अधिक पूरा हो चुका है। बीएलओ प्रत्येक मौजूदा मतदाता को घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (ईएफ) वितरित करेंगे और भरा हुआ प्रपत्र वापस प्राप्त करेंगे। मतदाता को अपने नाम या अपने रिश्तेदार के नाम के साथ मिलान/लिंक करने में मदद करेंगे जो कि 2002 में आयोजित विगत एसआईआर में थे। उन्होंने अपील की कि मतदाता इस कार्य में बीएलओ का पूर्ण सहयोग कर वांछित जानकारी

उन्हें उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि मतदाता, विशेष रूप से शहरी मतदाता/अस्थायी प्रवासी, ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सभी निर्वाचकों को अपना नवीनतम रंगीन फोटो गणना प्रपत्र में चिपकाना होगा।

गणना प्रपत्र प्राप्त होने वाले मतदाताओं के नाम होंगे ड्राफ्ट में शामिल

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त होंगे उन सभी के नाम मतदाता सूची के ड्राफ्ट में सम्मिलित किए जाएंगे। उन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे जिनके नाम विगत एसआईआर मेल से मेल नहीं खा पाए या लिंक नहीं हो पाए। ऐसे मामलों की सुनवाई कर अंतिम मतदाता सूची में उनके नाम शामिल करने या निकालने की प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए अनुपस्थित/स्थानांतरित/मृत/डुप्लीकेट नामों की सूची सीईओ की वेबसाइट एवं सार्वजनिक कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी। कोई भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों का बीएलए दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है।

सहायता के लिए लगाए जाएंगे वॉलिंटियर्स

उन्होंने बताया कि मतदाताओं विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर समूहों की सहायता के लिए वॉलिंटियर्स को नियोजित किया जा रहा है जिससे उन्हें गणना प्रपत्र भरने में सुविधा प्रदान की जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर हेल्पडेस्क स्थापित किए जा रहे है जो आमजन की सहायतार्थ आवश्यक सूचना उपलब्ध कराएंगे।